न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

225RTA2019-00081Ju2019-48 Narayanram etc Vs Gairo etc

---

01. नारायणराम पुत्र श्री खुमाराम जाति जाट, निवासी- प्रहलादपुरा तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
02. सोनी पुत्री भुराराम जाति जाट, निवासी- प्रहलादपुरा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

01. गैरो पत्नी भुराराम
02. झमू पुत्री भुराराम
03. भीयाराम पुत्र रुपाराम, सभी कौम जाट, निवासी- प्रहलादपुरा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
04. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर बालेसर दिनांक 24 अप्रैल 2019 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 57/2018 नारायणराम व अन्य बनाम गैरो इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री नवीन शर्मा, नीतू बाला अधिवक्ता-रेस्पो. सं. 1 से 3
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. सं. 4

नि र्ण य

दिनांक : 21 अक्टूबर, 2021

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर बालेसर के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 57/2018 नारायणराम व अन्य बनाम गैरों इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 24 अप्रैल 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 13 मई 2019 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी की सामलाती भूमि ग्राम प्रहलादपुरा, पटवार हल्का चामु, तहसील बालेसर में स्थित खसरा नं. 2007 रकबा 0.12 बीघा गै.मु., खसरा नं. 2008 रकबा 38.03 बीघा व ग्राम सतीनगर, पटवार हल्का चामु में स्थित खसरा नं. 1968 रकबा 140.19 बीघा आई हुई है। ग्राम प्रहलादपुरा की भूमि में अपीलांट संख्या दो व रेस्पोडेंट संख्या एक व दो का बहिस्सा बराबर है व खसरा नं. 1968 रकबा 140.19 बीघा भूमि में अपीलांट संख्या एक का रकबा 10 बीघा व अपीलांट संख्या दो का 1/3 हिस्सा, रेस्पोडेंट संख्या दो का 1/3 हिस्सा व रेस्पोडेंट संख्या 3 का 2 बीघा हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अपने हिस्से में सें अपीलांट संख्या एक को रकबा 2 बीघा भूमि रेस्पोडेंट संख्या 3 को जरिये दान पत्र निष्पादित कर दिया एवं 10 बीघा भूमि का दान पत्र प्रार्थी संख्या एक को कर दिया, जिससे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के बीच में हिस्से को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या एक व दो एक ही परिवार से संबंध रखते है। खसरा नं. 1968 रकबा 140.19 बीघा के मध्य में सें राजीव गांधी लिफ्ट केनाल का निर्माण हो जाने से एवं मौके पर भूमि अवाप्त करने के बाद उक्त खसरा दो भागों में विभाजित हो गया, जिसका भी उल्लेख राजस्व रेकर्ड में स्पष्ट नहीं किया हुआ है, जिससे अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंट्स के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बाबत बंटवाड़ा, स्थाई निषेधाज्ञा का वाद व धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 22.11.2018 को स्थगन आदेश जारी किया, तत्पश्चात दिनांक 24.04.2019 को प्रार्थी के पक्ष में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा अपास्त कर दी गई, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स की सामलाती संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। रेस्पोडेंट संख्या एक विशेष भू-भाग का हिस्सा बताकर उक्त भूमि बेचान करने पर उतारू है, जबकि मौके पर भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि होने व अपीलांट्स के वाद में खातेदारी घोषणा व बंटवाड़ा होने से पूर्व अगर रेस्पोडेंट संख्या एक विशेष भू-भाग बताकर भूमि का बेचान कर देगी तो तृतीय पक्षकार की अपीलांटगण के कब्जे व काश्त में दखल अंदाजी करने की पूर्ण सम्भावना बनेगी एवं अपीलांट्स को अपने हिस्से के कब्जे व काश्त से महरूम करने का रेस्पोडेंट संख्या एक को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस कारण वादग्रस्त भूमि ताफैसला दावा रेस्पोडेंट संख्या एक बेचान नहीं करे तथा राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे, ताकि अनावश्यक मुकदमेबाजी नहीं बढे। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा वादग्रस्त भूमि में सें रकबा 2 बीघा भूमि रेस्पोडेंट संख्या तीन को व रकबा 10 बीघा भूमि अपीलांट संख्या एक को जरिये दान पत्र दी जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवायी जा चुकी है व वादग्रस्त भूमि अन्य को बेचान कर देगी तो हिस्से को लेकर और विवाद उत्पन्न होगा। अपीलांट संख्या एक द्वारा अपने हिस्से को लेकर बंटवाड़ा व घोषणा का दावा पेश किया जा चुका है, जिसमें रेस्पोडेंट संख्या तीन भी पक्षकार है, इसके अलावा वादग्रस्त भूमि में सें राजीव गांधी लिफ्ट केनाल निकल जाने से वादग्रस्त भूमि का हिस्सा कम हुआ है। इस कारण रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अपना रकबा 34.19 बीघा, खसरा नं. 1968 में गलत इन्द्राज हुआ है। मौके पर जमीन कम होने से रेस्पोडेंट संख्या एक का भी हिस्सा कम होगा। इस प्रकार रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा भूमि का आगे बेचान करने से कब्जे को लेकर विवाद उत्पन्न होना स्वाभाविक है। रेस्पोडेंट संख्या एक वृद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

महिला है, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। कोई भी उसका फायदा उठाकर रेस्पोडेंट संख्या एक की भूमि को बेचान या अन्य प्रकार से हस्तांतरण करवा सकता है। इस प्रकार अजनबी क्रेता भूमि को हड़पने की कोशिश करेंगे। इस कारण रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा भूमि का बेचान करने से अपीलांट्स को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के पक्ष में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त करने में भारी भूल की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश काबिल खारिज है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जावे तथा वादग्रस्त भूमि ग्राम प्रहलादपुरा, पटवार हल्का चामु, तहसील बालेसर में स्थित खसरा नं. 2007 रकबा 0.12 बीघा गै.मु., खसरा नं. 2008 रकबा 38.03 बीघा व ग्राम सतीनगर, पटवार हल्का चामु में स्थित खसरा नं. 1968 रकबा 140.19 बीघा के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की ताफैसला अपील यथास्थिति बनाई रखी जावें एवं रेस्पोडेंट संख्या एक को पाबंद किया जावे कि वह वादग्रस्त भूमि का बिना बंटवाड़ा करवाये बेचान या किसी भी प्रकार से हस्तांतरण व मुंतकिल नहीं करे और न ही अन्य से करावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि विवादग्रस्त भूमि में रेस्पोडेंट्स सहखातेदार है। कानूनन सहखातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। विवादग्रस्त भूमि में दर्ज हिस्सों के संबंध में कोई विवाद नहीं है। अपीलांट्स द्वारा केवल मात्र रेस्पोडेंट्स को परेशान करने के उद्देश्य से वाद प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की समुचित सुनवाई के पश्चात

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के मुताबिक विवादग्रस्त आराजी ग्राम प्रहलादपुरा, पटवार हल्का चामु, तहसील बालेसर में स्थित खसरा नं. 2007 रकबा 0.12 बीघा गै.मु., खसरा नं. 2008 रकबा 38.03 बीघा व ग्राम सतीनगर, पटवार हल्का चामु में स्थित खसरा नं. 1968 रकबा 140.19 बीघा **राजस्व रेकर्ड में संयुक्त खातेदारी** की दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथमदृष्टया मामला अपीलांट्स के पक्ष में मानकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई, किंतु अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट्स के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया। यह उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय में मूल दावा अब भी विचाराधीन है, इसलिए विवादग्रस्त आराजी को संरक्षित भी किया जाना कानूनन आवश्यक है। साथ ही रेस्पोडेंट्स विवादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड सहखातेदार है और कानूनन रेकर्डेड सहखातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु समान रूप सें उभय पक्ष के पक्ष में है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 अप्रैल 2019 को खारिज किया जाकर रेस्पोडेंट संख्या एक को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तादावा पाबंद किया जाता है कि वे विवादग्रस्त आराजी में विशेष भू-भाग का उल्लेख करते हुए बेचान हस्तांतरण नहीं करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर